कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मोदीनगर।

पंत्राक–739 /न0पा0प0मो0/2020 दि0 8 दिसम्बर, 2020

अति अल्पकालीन प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद, मोदीनगर सीमान्तर्गत बन्दर को पकडने एवं वन्य जीवों को गाजियाबाद जनपद से स्वास्थ्य परिक्षण के उपरान्त गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग के वन क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर छुडवाये जाने हेतु इस कार्य में दक्ष अनुभवी फर्मो/संगठन/एन0जी0ओ0 आदि से दरें (प्रति बन्दर, समस्त व्यय सहित) आमंत्रित करती है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनांक 14–12–2020 कों दोपहर 02–00 बजें तक बन्द लिफाफे में अपनी दरें/प्रस्ताव कार्यालय में दे सकते है। उक्त कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव दि0 14–12–2020 को सांय 04–00 बजें अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा उपस्थित दरदाताओ के समक्ष खोले जायेगे। यदि उपरोक्त तिथि को अवकाश होता है तो प्रस्ताव/दरें आगामी कार्यदिवस मे खोले/डाली जायेगी। **बन्दरों को पकडने, परिवहन तथा मुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक 2585/35–5 दिनांक, गाजियाबाद, 07–12–2020 के द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में अनुमति पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा,** जिसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी पालिका की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर उपलब्ध है अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय के स्टोर विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(शिव राज)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेश्वरी)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा मे सादर सूचनार्थ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3– प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, गाजियाबाद की सेवा मे सादर सूचनार्थ।
4– उपजिलाधिकारी, मोदीनगर की सेवा मे सादर सूचनार्थ।
5– श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वैबसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6– सम्पादक दैनिक जागरण मोदीनगर व दैनिक अथाह, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस व धनराशि में केवल एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7– कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।

(शिव राज)
अधिशासी अधिकारी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रॉक 2585 /35–5 दिनॉक गाजियाबाद 07–12–2020।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर,
जनपद गाजियाबाद।

विषयः– **उत्पाती बन्दरों को पकडवाकर सुरक्षित छुडवाये जाने के सम्बन्ध में अनुमति।**

सन्दर्भः 1. आपकी पत्र संख्या 561/न0पा0/2020 दिनांक 01–10–2020
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोदीनगर का पत्रांक 421/35–1 दिनांक 05–10–2020

महोदय,

आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा नगर पालिका परिषद मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के सीमान्तर्गत बन्दरों का प्रकोप होने के कारण बन्दरों को पकडवाये जाने हेतु एन0ओ0सी0 दिये जाने का अनुरोध किया गया है । इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता है कि उत्पाती बन्दरो को पकडने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैः–

1. प्रतिदिन पकडे गये बन्दरों की सूचना इस कार्यालय को अपराह्न 3:00 बजे तक देनी होगी तथा बन्दरों को इस कार्यालय द्वारा नामित वन विभाग के प्रतिनिधि के माध्यम से निर्दिष्ट वन क्षेत्र में छोडने का उत्तरदायित्व आपका होगा। बन्दरो को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोडने की अनुमति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0 लखनऊ से लेनी अनिवार्य होगी।
2. बंदरों को ट्रूप/समूह के सभी सदस्यों को पकडा जाए।
3. एक क्षेत्र/ट्रूप के बंदरों को दूसरे क्षेत्र/ट्रूप के बंदरों का मिश्रण नहीं किया जाए ताकि उन्हें रोगों के संक्रमण से बचाया जा सके।
4. बन्दरों को पकडने के पश्चात उनके एकत्र कर रखने के स्थल का चयन इस दृष्टि से किया जाये कि न्यूनतम दूरी तय करनी पडे एवं बंदरों को तनाव कम से कम हो।
2. प्रत्येक परिवहन हेतु सक्षम पशु चिकित्साधिकारी द्वारा इस आशय का स्वस्थ प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि बंदरों में किसी भी प्रकार के रोग या संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, तथा वे स्वस्थ हैं एवं परिवहन हेतु तैयार है ।
3. परिवहन के समय उचित व्यवस्था रखें ताकि बंदरों को अति ठण्ड अथवा गर्मी से बचाया जा सके।
4. यदि परिवहन के समय किसी बंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसे यथा सम्भव हटा दिया जाये।
5. ऐसे बंदर जो मां पर आश्रित है तथा 1.8 कि0ग्रा0 से कम वजन के हैं, उन्हें बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के परिवहन नहीं किया जायेगा ।
6. प्रेगनैन्ट तथा दूध पिला रही मादा बंदर को बिना भारत सरकार की अनुमति के परिवहन नहीं किया जायेगा ।
7. प्रेगनेन्ट मादा बंदर को तथा ऐसे बंदर जिनका वजन 5 कि0ग्रा0 से अधिक है, को कम्पार्टमेन्ट युक्त पिंजडों में स्थानान्तरित किया जायेगा ।
8. एक पिंजडे में लगभग एक समान वजन एवं साईज के एक ही प्रजाति के बंदरों को रखा जायेगा ।
9. बंदरों को पकडने के उपरान्त नये या संक्रमण रहित स्वच्छ पिंजडों में रखा जायेगा। परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले पिंजडे भी नये डिसइन्फेक्टेड तथा साफ होने चाहिए।
10. परिहवन के दौरान बंदरों को कभी भी बिना निगरानी के न छोडा जाये।
11. बन्दरों को लकडी या बांस के बने ऐसे पिंजडे जिनमें हवा के आवागमन की समुचित व्यवस्था हो, के द्वारा परिवहन किया जायेगा।
12. पिंजडों की भीतरी अथवा बाहरी सतहों पर कीलें अथवा नुकीले उभार नहीं होने चाहिए।
13. प्रत्येक पिंजडे में भेजन व पानी के लिए पात्र इस तरह निर्मित हों कि उसे भरा एवं साफ किया जा सके ।
14. एक पिंजडे का वजन बंदर रखने के उपरान्त 45 कि0ग्रा0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

15. 910 X 760 X 510mm जिसमें 1.8 से 3.00 कि0ग्रा0 के अधिकतम 12 बन्दर या 3.1 से 5.00 कि0ग्रा0 के अधिकतम 10 बन्दर रखे जाने चाहिए।
16. 710 X 710 X 510mm के पिंजडे में 1.8 से 3.00 कि0ग्रा0 के अधिकतम 10 बन्दर तथा 3.1 से 5.00 कि0ग्रा0 वाले अधिकतम 8 बन्दर रखे जाने चाहिए।
17. प्रेगनेन्ट तथा दूध पिला रही बंदरियों के परिवहन हेतु पिजडे के निर्माण का विवरण संलग्न प्रारूप– जी के अनुसार होना चाहिए ।
18. पिंजडों का लोडिंग/अनलोडिंग यथाशीघ्र करना होगा।
19. बंदरों का परिवहन सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।
20. पिंजडों को रखने का स्थान हवादार होना चाहिये तथा अधिक गर्मी से पर्याप्त बचाव होना चाहिए । इस हेतु पिंजडे को ढकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
21. बन्दरों के पकडने के उपरान्त अथवा परिवहन में कोई बन्दर सुस्त नजर आता है तो उसे यथाशीघ्र अलग कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
22. परिवहन के दौरान एक पिजंडे के उपर अधिकतम एक और पिंजडा रखा जा सकता है।
23. बीमार, विकलांग अथवा घाव युक्त अथवा परीजीवी से प्रभावित बंदरों का परिवहन नहीं किया जायेगा।
24. लगभग 1 कि0ग्रा0 प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी। सूखे अनाज या चना उपयुक्त आहार है । बंदरों को चने या बिस्कुट अथवा गेहूं के आटे का ब्रेड खिलाया जा सकता है।
25. खाली पिंजडा जिसका साईड कवर्ड हो किन्तु उपरी भाग हवा के आवागमन हेतु उचित व्यवस्था हो, बीमार बंदरों को रखने के लिए अलग से होना चाहिए ।
26. विशेषज्ञों द्वारा उत्पाती बन्दरों को पकड़ने एवं सुरक्षित छोड़नें की जिम्मेदारी आपकी होगी।
27. प्रकरण संवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी होगी।
28. उत्पाती बन्दरों को पकड़ने एवं छोड़ने के दौरान किसी प्रकार की क्रुरता नहीं की जायेगी।
29. उत्पाती बन्दरों को पकड़वाने एवं उनको गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग के वन क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर छुड़वाने पर आने वाला व्यय आपके द्वारा वहन किया जायेगा।
30. उत्पाती बन्दरों को पकडवाकर सुरक्षित छुड़वाये जाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथासंशोधित 2002) का उल्लंघन न हो, यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
31. उत्पाती बन्दरों को पकड़वाकर छोड़े जाने की संख्या एवं स्थल की सूचना प्रतिदिन आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
32. यह अनुमति पत्र निर्गत होने के 30 दिन तक वैध होगी।
33. उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन न किये जाने की दशा में यह अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

संख्या– 3585 /35-5 ,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 मेरठ।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, गाजियाबाद।
5. उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोदीनगर को उनके पत्रांक 421/35–1 दिनांक 05–12–2020 के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद